कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–अनुरोध के अधार पर स्थानान्तरण
(दुर्गम से दुर्गम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री सुधीर कुमार	प0से0के0, रैस चोपता–चमोली	प0से0के0, सारी–रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध
02	श्रीमती विनीता करांसी	प0से0के0, रायड़ी–रूद्रप्रयाग	प0से0के0, भीरी–रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध
03	श्रीमती सीमा कुंवर	प0से0के0, सारी–रूद्रप्रयाग	प0से0के0, मरोड़ा–रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध
04	श्री अयोध्या प्रसाद	प0से0के0, राऊलेक–रूद्रप्रयाग	प0से0के0, मैकोट–चमोली	निजी अनुरोध
05	श्रीमती रीना रमोला	बहु0से0के0, भटवाड़ी–उत्तरकाशी	रा0ब0प्र0प्र0, डुण्डा–उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
06	श्री महेन्द्र सिंह	प0से0के0, झाला–उत्तरकाशी	प0से0के0, भटवाड़ी–उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
07	श्री दिपेन्द्र सिंह जयाड़ा	मे0के0, थलकुण्डी–उत्तरकाशी	प0से0के0, गडुगाड–उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
08	श्रीमती भावना	प0से0के0, चौरासैंण–चमोली	प0से0के0, सिलपाटा–चमोली	निजी अनुरोध
09	श्री सुशील प्रसाद	प0से0के0, मक्कू–रूद्रप्रयाग	भेड़ एवं फामर्स ओरियन्टेशन प्रक्षेत्र मक्कू–रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध
10	श्री मनोज सिंह रावत	प0से0के0, सरबडियारगढ़–उत्तरकाशी	प0से0के0, बर्नीगाड –उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 846 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।
4– परियोजना निदेशक, भेड़ एवं फामर्स ओरियन्टेशन प्रक्षेत्र, मक्कू–रूद्रप्रयाग।
5– मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0, देहरादून।
6– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–अनुरोध के अधार पर स्थानान्तरण
(सुगम से सुगम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री विनोद सिंह रावत	प0से0के0, रायवाला–देहरादून	कुक्कुट प्रक्षेत्र, पशुलोक–ऋषिकेश	निजी अनुरोध

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 841 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून।
4– परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
5– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ग) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ग–अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम संस्था से सुगम संस्था में)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	प0से0के0, कुमाल्डा–टिहरी	प0से0के0, पण्डितवाड़ी–देहरादून	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 847 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।

2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी।

4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ग) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ग–अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम संस्था से सुगम संस्था में)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री विजेन्द्र थपलियाल	प0से0के0, बहेड़ा–टिहरी	प0से0के0, लालतप्पड़–देहरादून	जनहित (प0प्र0अ0 के पदोन्नति स्थान हेतु कार्यमुक्ति के पश्चात प्रभावी)

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक **स्थानान्तरण अधिनियम, 2017** में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 848 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।

2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी/उत्तरकाशी।

4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–अनुरोध के अधार पर स्थानान्तरण
(दुर्गम से दुर्गम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्रीमती सोनिया	प0से0के0, कोडियाला–टिहरी	प0से0के0, नैचोली–टिहरी	**निजी अनुरोध**
02	श्रीमती ज्योति जखमोला	प0से0के0, कुण्जोली–पौड़ी	प0से0के0, हिसरियाखाल– टिहरी	**निजी अनुरोध**
03	कु0 प्रियंका गैरोला	प0से0के0, चिपलघाट–पौड़ी	प0से0के0, पीपलपानी–पौड़ी	**निजी अनुरोध**
04	श्रीमती अंजु कुमारी	प0से0के0, ढौटियाल–पौड़ी	प0से0के0, कुण्जोली–पौड़ी	**निजी अनुरोध**
05	श्री विमल सिंह	प0से0के0, बसड़ा–पौड़ी	प0से0के0, अधरियाखाल–पौड़ी	**निजी अनुरोध**
06	श्री विक्रम सिंह कुंवर	प0से0के0, पाव–टिहरी	प0से0के0, ढामकेश्वर–पौड़ी	**निजी अनुरोध**
07	श्री सुरेन्द्र पाल	प0से0के0, कोटालगांव–टिहरी	प0से0के0, कठखेत–टिहरी	**निजी अनुरोध (दिनांक 31.08.2026 के पश्चात प्रभावी)**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 850 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी/पौड़ी।
4– परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
5– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–अनुरोध के अधार पर स्थानान्तरण
(दुर्गम से दुर्गम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्रीमती अनुपमा	प0से0के0, घटवालधार – उत्तरकाशी	प0से0के0, धारकोट– देहरादून	निजी अनुरोध (प0प्र0अ0 के पदोन्नति स्थान हेतु कार्यमुक्ति के पश्चात प्रभावी)
02	श्रीमती उषा रावत	प0से0के0, काफलपानी –टिहरी	प0से0के0, छमरौली –देहरादून	निजी अनुरोध (प0प्र0अ0 के पदोन्नति स्थान हेतु कार्यमुक्ति के पश्चात प्रभावी)
03	श्री मनोज राणा	प0से0के0, कमान्द –टिहरी	प0से0के0,हटवालगांव –टिहरी	निजी अनुरोध (प0प्र0अ0 के पदोन्नति स्थान हेतु कार्यमुक्ति के पश्चात प्रभावी)
04	श्रीमती आरती थपलियाल	प0से0के0, नागदेव पथल्ड –टिहरी	प0से0के0, गोंठ– टिहरी	निजी अनुरोध (प0प्र0अ0 के पदोन्नति स्थान हेतु कार्यमुक्ति के पश्चात प्रभावी)

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 858 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी/उत्तरकाशी।
4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(क) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

क–सुगम संस्था से दुर्गम संस्था में

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री अश्वनी कुमार गर्ग	हीफर रियरिंग फार्म, पशुलोक–ऋषिकेश	प0से0के0, कोडियाला–टिहरी	**निजी अनुरोध**
02	श्री पवन कुमार	प0से0के0, ऐथल–हरिद्वार	प0से0के0, नागणी–टिहरी	**निजी अनुरोध**
03	श्री विनोद कुमार	प0से0के0, मुण्डा खेड़ाकला–हरिद्वार	प0से0के0, हर्षू–पौड़ी	**निजी अनुरोध**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 851 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/पौड़ी/टिहरी।
4– परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
5– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(क) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

क–अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम संस्था से दुर्गम संस्था में)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्रीमती उजमा नाज	प0से0के0, पण्डितवाड़ी–देहरादून	प0से0के0, कुमाल्डा–टिहरी	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 855 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।

2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी।

4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ग) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ग–अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम संस्था से सुगम संस्था में)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्रीमती लतिका पाल	प0से0के0, नैचोली–टिहरी	प0से0के0, पौंधा–देहरादून	**जनहित**
02	श्रीमती नीलम जौहर	प0से0के0, कोटीजाख–टिहरी	प0से0के0, रायवाला–देहरादून	**जनहित**
05	कु0 पूजा भट्ट	प0से0के0, क्वासी–देहरादून	एल0आर0एस0, पशुलोक–ऋषिकेश	**जनहित**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 856 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी।
4– परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक–ऋषिकेश।
5– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17–1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय पत्र संख्या 400683/XXX(2)/2026/ई–26941 दिनांक 01.06.2026 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नाकिंत **पशुधन प्रसार अधिकारियों** का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है:–

ख–प्रशासनिक अधार पर स्थानान्तरण

(दुर्गम से दुर्गम संस्था)

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री विपिन प्रसाद डिमरी	मेढ़ा केन्द्र, कफनौल–उत्तरकाशी	पशु सेवा केन्द्र, कवागड़ी –उत्तरकाशी	**प्रशासनिक आधार पर**

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ0सं0 857 /स्था0–2/स्थाना0–प0प्र0अ0/2026–27 दिनांक 30 जून, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी को अनुपालनार्थ।

2– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।

3– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

4– सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

5– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

30/6/26
(डा0 भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।